उद्यमी मित्र के लिए 105 पदों पर मांगे आवेदन

- इन्वेस्ट यूपी ने भर्ती के लिए आमंत्रित किये आनलाइन आवेदन
- मानदेय और भत्ते के रूप में मिलेंगे 70 हजार रुपये प्रति माह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त हुए 33.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए इन्वेस्ट यूपी उद्यमी मित्रों की नियुक्ति करेगा। उद्यमी मित्र निवेशकों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुनने के साथ उसका समाधान करेंगे। साथ ही, निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से दी जा रहीं सहूलियतों के बारे में विस्तार से बताएंगे। उद्यमी मित्रों की नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत की जाएगी।

पहले चरण में एक वर्ष के अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। उन्हें 70 हजार रुपये मासिक मानदेय और भत्ते दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को टैबलेट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये एकमुश्त अलग से दिया जाएगा। उद्यमी मित्रों के चयन के लिए इन्वेस्ट यूपी ने अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक उच्च स्तरीय बैठक में उद्यमी मित्रों की नियुक्ति के बारे में निर्देश दिए थे।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास व्यवसाय प्रशासन (एमबीए) में 60 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को एमबीए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चिह्नित क्षेत्रों में एक वर्ष के अनुभव के साथ खास विषयों में शिक्षा या काम का अनुभव होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

योजना के तहत जिन 105 पदों पर उद्यमी मित्रों की भर्ती की जाएगी, उनमें से 70 पद जिलों के लिए होंगे जबकि इन्वेस्ट यूपी कार्यालय और मुख्यालय के लिए 10 पद होंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए 25 पद होंगे। चयन प्रक्रिया के नियमों और शर्तों की जानकारी इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट https://invest.up.gov.in से हासिल की जा सकती है।

यह और उप्र की अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें